भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2851
उत्तर देने की तारीख 05 अगस्त, 2026

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) प्रणाली

2851. श्री नवीन जिंदलः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे देश में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे लागू करने की समय-सीमा क्या है;

(ख) अब तक स्पैम/धोखाधड़ी वाले कॉल पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में प्रायोगिक परियोजना में शामिल न होने वाले लगभग 250 मिलियन 2जी ग्राहकों तक सीएनएपी को पहुँचाए जाने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) "भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा शुरू करने" के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा 4जी और उससे ऊपर की प्रौद्योगिकियों के लिए सीएनएपी सेवा के कार्यान्वयन का परीक्षण और मूल्यांकन शुरू कर लिया गया है। सीएनएपी प्रणाली के लिए रोलआउट की समय-सीमा ऐसे परीक्षण और मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर करती है।

(ख) दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ताओं को कॉल करने वाले का नाम प्रस्तुत करके, सीएनएपी सेवा का उद्देश्य ऐसे प्रयोक्ताओं को संभावित स्पैम अथवा धोखाधड़ी वाली कॉल सहित कॉल का उत्तर देते समय सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है।

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए विचार-विमर्श के अनुसार, देश में वर्तमान में प्रचालित सभी 2जी दूरसंचार नेटवर्क, सीएनएपी सेवाओं के कार्यान्वयन को सपोर्ट नहीं करते हैं।
